सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–813
14–7–2010

श्री अजय कुमार सिंह, धरहरा पंचायत के मुखिया पदच्युत

पटना, 14 जुलाई :: मुँगेर जिलान्तर्गत धरहरा प्रखंड के धरहरा – दक्षिण ग्राम पंचायत के मुखिया श्री अजय कुमार सिंह को सरकार ने पदच्युत कर दिया है। उनपर कर्त्तव्य – निर्वहन में शक्तियों के दुरूपयोग करने, अनियमितता एवं कदाचार बरतने का आरोप है।

पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचनानुसार ''मुख्यमंत्री के जनता दरबार'' में उक्त मुखिया के विरूद्ध विभिन्न योजनाओं में कार्यारंभ वगैर पंचायत सचिव के मेल से रूपये की निकासी के शिकायतों के आलोक में मुँगेर के उप विकास आयुक्त ने अपने जाँच प्रतिवेदन में जानकारी दी है कि 9 सरकारी योजनाओं के विरूद्ध राशि की अग्रिम कर ली गई लेकिन उसे खर्च नहीं किया गया।

आरोपों के विरूद्ध उक्त मुखिया ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि धरहरा प्रखंडान्तर्गत धरहरा (दक्षिण) ग्राम पंचायत को 10 हजार रू0 आकस्मिकता मद में आवंटित थे। परन्तु 10 हजार की जगह 10 लाख रू0 का चेक निर्गत कर दिया गया। तदनुसार प्राप्त चेक को पंचायत के खाते में जमा कर योजनाओं के कार्यान्वयन में राशि का उपयोग किया जाने लगा। बाद में जिला ग्रामीण अभिकरण द्वारा 10 हजार रू0 आकस्मिकता मद में तथा 9 लाख 90 हजार रू0 योजना मद में व्यय किए जाने की स्वीकृति संसूचित किए जाने पर अपूर्ण एवं असंचालित योजनाओं में निहित राशि 10 लाख 28 हजार 854 रू0 को भी जमा करने के निदेशालोक में 4 लाख 80 हजार रू0 बैंक खाते में जमा करते हुए शेष राशि को योजनाओं के कार्यान्वयन में मापी के आधार पर समायोजित किया गया।

मुखिया के स्पष्टीकरण पर डी0 एम0 मुँगेर ने समीक्षोपरांत मंतव्य दिया है कि आरोपित मुख्यिा द्वारा योजनाओं के विरूद्ध अग्रिम राशि निकासी कर बाद में मामला सामने आने पर राशि पुनः सरकारी खाते में जमा कर दी। तमाम वित्तीय मामले के संबंध में चार्टड एकाउंटेंट से अंकेक्षण कराया गया जिससे उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट हुआ।

ज्ञातव्य है कि पंचायती राज विभाग द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं समीक्षा मंतव्य के आलोक में श्री अजय कुमार सिंह आरोपित मुखिया के विरूद्ध अस्थायी रूप से सरकारी राशि के गबन के प्रमाणित मामले के आलोक में 7 जुलााई,2010 को तात्कालिक प्रभाव से मुखिया को पदच्युत कर दिया गया है।

———————